[redacted]

2
7.00

नकल आदेश दिनांक 19.3.10 अनुक्रमांक सं0-6 राम किशोर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अ0 ग्राम दखिनवारा, परगना बरौसा तहसील सदर जिला सुल्तानपुर। न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर। दिनांक 19.3.10

538
23.3.10

CHAIRMAN
SPECTRUM HI PHARMACY COLLEGE
JAMOLI, KURESHAR, SULTANPUR

अद्वैत फार्मेसी [illegible] ट्रस्ट
जमोली कुरेभार, सुल्तानपुर
राम किशोर पाण्डेय
ट्रस्टी

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर ।

वाद सं०- 6

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अ०
ग्राम दखिनवारा, परगना बरौंसा
तहसील सदर जिला सुलतानपुर ।

राम किशोर पाण्डेय बनाम सरकार उ०प्र० ।

निर्णय

श्री राम किशोर पाण्डेय पुत्र बोहरवा प्रबंध प्रबन्धक, प्रोजेक्ट ट्रस्टी अद्वैत फाउन्डेशन चैरिटेबुल ट्रस्ट ग्राम जमोली मजरे दखिनवारा, परगना बरौंसा तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा सं०-909/0-3900, गाटा सं०-904मि०/0-1470 स्थित ग्राम दखिनवारा को अकृषक गाटे के रूप में धारा-143ज०वि०अ० के अन्तर्गत घोषित करने हेतु याचना किया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसील भेजा गया । तहसीलदार, सदर की जाँच आख्या दिनांकित 11-3-10 संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में उपलब्ध धारा-143 नियम-135 ज०वि०अ० के रूप-पत्र पर विशेष विवरण के कालम में वाद भूमि गाटा सं०-904मि०/0-1470 व 909/0-3900 हे० पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, इसे अकृषक घोषित किये जाने का आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। इसके अतिरिक्त विस्तृत आख्या में भी इसी का उल्लेख किया गया है । विवादित भूमि की नजरी नक्शा भी संलग्न की गयी है ।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांकित 11-3-2010, उद्धरण खतौनी वर्ष 1412-1417 फ० ग्राम दखिनवारा की खाता सं०-655 की गाटा सं०-904 व खाता सं०-491 की गाटा सं०-909 का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा वादी को सुना गया । पत्रावली में उपलब्ध आख्या एवं उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर जरिये विक्रय-पत्र अंकित है तथा अकृषक कराने की याचना की गयी है। तहसील आख्या से भी स्पष्ट है कि वाद भूमि अकृषिक है और उसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि में कृषि कार्यवाही नहीं किया जाता है और वाद भूमि अकृषिक है जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन भी है, से सम्बन्धित प्रयोजनों के काम में न लाये जा रहे हों, और उन गाटों को उक्त प्रयोजन के लिए काम में लाये जा रहे हों, उसे अकृषिक भूमि प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में खतौनी ग्राम दखिनवारा, परगना बरौंसा, तहसील व जिला सुलतानपुर की वर्ष 1412-1417फ० के खाता सं० 659 की गाटा सं०-904मि०/0-1470 हे० व खाता सं०-491 की गाटा सं०-909 /0-3900 हे० भूमि को अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है ।उक्त आदेश उद्धरण खतौनी की आदेश की प्रविष्टियाँ वाले कालम में अंकित किया जाय तथा भविष्य में बनने वाली खतौनियों में अंकित होता रहेगा । वाद भूमि को मालगुजारी से मुक्त किया जाय तथा आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय । बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो ।

प्रतिलिपि

3-3-10

दिनांक: 12-3-10

538
22-3-10

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
उप जिलाधिकारी, सदर
सुलतानपुर ।

अद्वैत फाउंडेशन चैरिटेबुल ट्रस्ट
जमोली कुरेभार, सुलतानपुर
राम किशोर पाण्डे
ट्रस्टी

CHAIRMAN
SPECTRUM HI PHARMACY COLLEGE
JAMOLI, KUREBHAR, SULTANPUR

Scanned with CamScanner

Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

नकल आदेश दिनांक 29/7/2017 वाद सं. 36 रामकिशोर पाण्डेय बनाम उ० प्र० सरकार के अन्तर्गत धारा-143 ज० वि० अ० ग्राम दखिनवारा तहसील सदर सुलतानपुर न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर सुलतानपुर तारीख फैसला 24/7/2017

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

532
24/07/2017

CHAIRMAN
SPECTRUM HI PHARMACY COLLEGE
JAMOLI, KUREBHAR, SULTANPUR

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर।

वाद सं.– 36

अन्तर्गत धारा 143 ज.वि.अ.
ग्राम दखिनवारा परगना बरौंसा
तहसील सदर जिला सुलतानपुर

राम किशोर पाण्डेय बनाम– सरकार उ.प्र.

निर्णय

राम किशोर पाण्डेय सुत चौहरजा प्रसाद प्रबन्धक मैनेजिंग ट्रस्टी अद्वैत फाउण्डेशन चैरिटेबुल ट्रस्ट ग्राम जमोली मजरा दखिनवारा परगना बरौंसा तहसील सदर व जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 906मि./0.1650 व 907/0.2730 व 910/0.0600 हे. स्थित ग्राम दखिनवारा को आकृषिक गाटों के रूप में धारा 143 ज.वि.अ. के अन्तर्गत याचना किया है। पत्रावली आख्या हेतु तहसील भेजा गया। तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांकित 22/05/2017 संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में उपलब्ध धारा 143 नियम 135 ज.वि.अ. के रूप पत्र पर विशेष विवरण के कालम में वाद भूमि गाटा सं.906मि./0.1650 व 907/0.2730 व 910/0.0600 हे. पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है जिसे आकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है इसके अतिरिक्त विस्तृत आख्या में इसी का उल्लेख किया गया है। मैनें पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सदर की आख्या दिनांकित 22/05/2017 उद्धरण खतौनी ग्राम दखिनवारा की गाटा संख्या 906, 907 व 910 का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया तथा वादों को सुना गया पत्रावली में उपलब्ध आख्या एवं उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि सं. भूमिधर जरिए विक्रय पत्र अंकित है तथा आकृषिक कराने की याचना की गई है। समस्त साक्ष्यों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्सय पालन, कुक्कुट पालन भी हो तो सम्बन्धित परियोजनों के काम में लाये जा रहे हों उसे आकृषिक भूमि प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिवत बाधा नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन के अवलोकन में खतौनी ग्राम दखिनवारा परगना बरौंसा, तहसील व जिला सुलतानपुर की गाटा संख्या 906मि./0.1650 व 907/0.2730 व 910/0.0600 हे. भूमि को आकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। उक्त आदेश उद्धरण खतौनी की आदेश की प्रविष्टियों में अंकित किया जाय तथा भविष्य में खतौनियों में अंकित होता रहेगा वाद भूमि को मालगुजारी से मुक्त किया जाय वाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक : 24/07/2017

उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर

सत्य प्रतिलिपि

CHAIRMAN
SPECTRUM HI PHARMACY COLLEGE
JAMOLI, LUREBHAR, SULTANPUR

Scanned with CamScanner